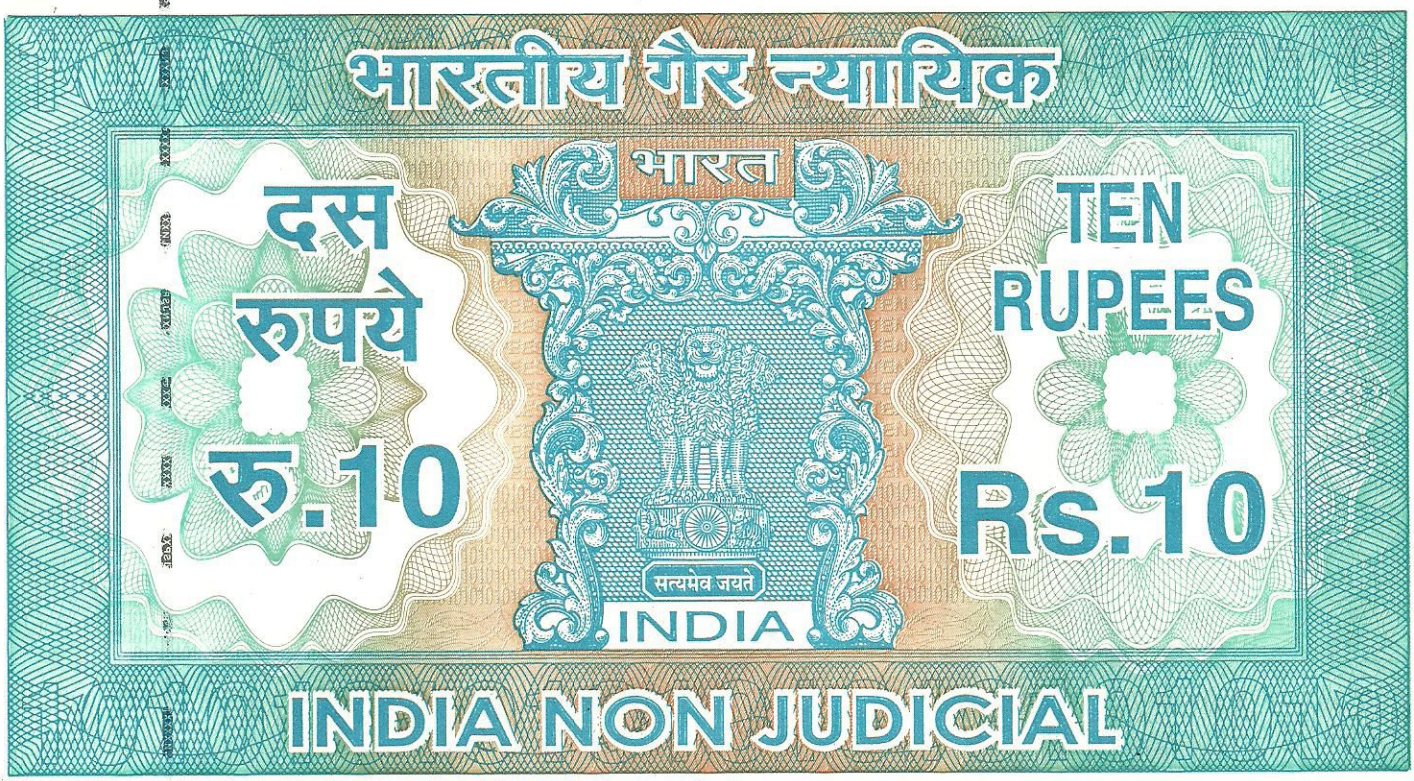

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AB 573176

यह जनरल स्टाप पेपर सवी हेल्थकेयर सोसायटी पहलवान बाजार (कोतवाली रोड) निकट - पोस्ट आफिस

जिला महराजगंज फाइल नं० जी० 29044

सिसवाबाजार के साथ संलग्न है

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

उ.प्र. गोरखपुर

20/10/11

संशोधित स्मृति पत्र

1- संस्था का नाम- सर्वहितकारी सेवाश्रम

2- संस्था का कार्यालय- परतावल बाजार (कप्तानगंज रोड) निकट-पोस्ट आफिस
जिला-महराजगंज 273301 (उ०प्र०)

3- संस्था का कार्यक्षेत्र- उत्तर प्रदेश

4- संस्था के उद्देश्य-

(क) स्वावलम्बी तथा समृद्ध ग्राम्य संरचना हेतु

1- कृषि उन्नति के माध्यमों/साधनों, उपयुक्त तकनीकि विकास, शोध, हस्तातरण तथा प्रचार-प्रसार करना।

2- कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कुटीर, ग्रामीण/लघु उद्योगों की स्थापना और निमित्त उपयुक्त अवसर, प्रशिक्षण, सहयोग साधन जुटाना तथा विभिन्न स्तरों से लाभार्थियों को रोजगार तथा आय सृजन के अवसर उपलब्ध करना।

3- विभिन्न स्तर पर आधारित प्रशिक्षण को संचालित करना एवं प्रचार-प्रसार करना।

4- शिक्षा एवं आवासीय विद्यालयों की स्थापना साक्षरता एवं शिक्षा का व्यापक प्रचार- प्रसार करना।

5- बैकल्पिक उर्जा के स्रोतों एवं साधनों का विकास तथा प्रचार-प्रसार करना।

6- निःशुल्क स्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य शिक्षा तथा शुद्व पेयजल की व्यवस्था करना, वनौषधियों पर आधारित स्वदेशी/अनुभूत चिकित्सा प्रणाली का अनुसंधान विकास प्रचार-प्रसार कर उन्हे जगग्राम्य बनाना तथा सामान्य को अंग्रेजी औषधियों के भयावह दुष्परिणाम और आर्थिक बोध से मुक्त करने का प्रयास करना।

(ख) वानकीय सम्पदा का मानवीय जीवन में जनउपयोग हेतु प्रयास करना

(ग) आश्रम व्यवस्था जिसके अन्तर्गत निराश्रित बालकों के संरक्षण की व्यवस्था एवं जनउपयोगी वस्तुओं का निर्माण परम्परागत एवं उन्नति किस्म के बीजों के सृजन कार्य का प्रयास।

(घ) शिशुओं तथा बालकों के स्वास्थ्य एवं समुचित विकास हेतु उपयुक्त पोषण, शिक्षा, क्रीड़ा, व्यायाम, योग तथा संस्कार की व्यवस्था करना।

(ड) युवकों तथा विभिन्न स्तर के कारीगरों को संगठित, शिक्षित, प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्यनमुक्त संस्कार प्रदान कर उन्हे उत्पादक एवं रचनात्मक गतिविधियों में संयोजित करना।

(च) महिलाओं, निर्धन तथा उपेक्षितजन, बनवासी एवं जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक स्तरोंन्नयन और उन्हे त्वरित एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

(छ) महिला संगठन निर्माण एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी/परित्यकता महिलाओं, विधवा महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु विभिन्न स्तरों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा उनमें रचनात्मक गतिविधियों का समायोजन करना।

(ज) वृद्वजन एवं विकलांगों को स्तरीय जीवन यापन तथा पुनर्वास और संरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।

(झ) बालश्रम से सम्बद्व बालकों के समुचित विकास हेतु बहुमुखी प्रयास करना।

(ट) गूंव को सुव्यवस्थित एवं सरलीकरण के लिए पंचायती राज के नियम व कानून को ग्राम स्तर पर जागरूक एवं प्रशिक्षित करने का प्रयास।

(ठ) निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को भूमि सुधार के लिए प्रशिक्षित एवं जागरूक करने का प्रयास।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

लोक शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु-

(क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना।
(ख) साहित्य, संगीत, कला, मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान तथा प्राच्य विद्याा के अध्ययन, अनुसंधान तथा शोध की व्यवस्था करना।
(ग) पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना करना।
(घ) प्रलेख पोषण केन्द्र की स्थापना प्रकाशन श्रवय-दृष्य तथा अन्य संचार माध्यमों का विकास तथा उपयोग करना।

6- पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करना।

7- जनसंख्या परिसीमन तथा परिवार कल्याण और नियोजन का प्रयास करना।

8- समाज में बढ़ते नशाखोरी तथा हिसां के प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास करना।

9- प्राकृतिक आपदा एवं संकट के समय सहायता तथा पुनर्वास कार्य करनां

10- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान-अनुदान सदस्यता शुल्क, ऋण, चन्दा, प्राप्त करना चल-अचल सम्पत्ति अर्जित करना, खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड तथा सरकारी, अर्द्धसरकारी गैर सरकारी, दाता संस्थाओं से ऋण अनुदान प्राप्त कर उनकी शर्तो के अनुरूप उपयोग करना।

11- संस्था के प्रबधं समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पद तथा व्यवसाय एव पते जिनको संस्था के इस स्मृति-पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौपां गयाः-

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-	श्री विनोद कुमार	स्व० रामेश्वर प्रसाद तिवारी	ग्राम व पोस्ट-रामपुर चौबे जिला-कुशीनगर	अध्यक्ष	सेवा
2-	" रवि प्रकाश श्रीवास्तव	जगदीश प्रसाद श्री०	म.न. 244/7 जाफरा बाजार, गोरखपुर	उपाध्यक्ष	वकालत
3-	सुश्री विनीता	श्री राधेश्याम अग्निहोत्रि	खरैया पोखरा, अशोकनगर, बशारतपुर, जिला-गोरखपुर	सचिव	सेवा कार्य
4-	श्री रामराज	स्व० श्री टुअर प्रसाद	ग्राम व पोस्ट-बसंतपुर, जिला-महराजगंज	उपसचिव	सेवा
5-	" ओमप्रकाश	श्री दशरथ प्रसाद	ग्राम व पो०- बसन्तपुर जिला-महराजगंज	कोषाध्यक्ष	सेवा कार्य
6-	श्री संतोष कुमार दूबे	श्री बृजराज दूबे	ग्राम व पोस्ट-देबीपुर जिला-महराजगंज	सदस्य	अध्ययन
7-	सुश्री आशा सिंह	श्री राम किशोर सिंह	पुराना पावर हाउस हाईडिल कालोनी स्टेशन रोड, गोरखपुर	सदस्य	सेवा कार्य

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट सन् 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनाकः

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
गो० गोरखपुर
20/10/11

प्रतिलिपि कर्ता .....

मिलान कर्ता .....
20/10/11

संशोधित नियमावली

1- संस्था का नाम- सर्वहितकारी सेवाश्रम

2- संस्था का पता- परतावल बाजार (कप्तानगंज रोड) निकट-पोस्ट आफिस जिला-महराजगंज 273301 (उ०प्र०)

3- संस्था का कार्यक्षेत्र- उत्तर प्रदेश

4- सदस्यता

(क) योग्यता- भारत का वयस्क नागरिक, जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहभागी बनना चाहता हो तथा संस्था के नियमों से पूर्ण सहमत हो संस्था का सदस्य हो सकता है।

(ख) प्रकार- संस्था में तीन प्रकार के सदस्य होगें-

1- संस्थापक सदस्य- जिन्होने संस्था की स्थापना में सक्रिय सहयोग किया है और संस्था के कोष में न्यूनतम एक सौ रूपये का योगदान किया है वे संस्था के संस्थापक सदस्य होगें। इनके सदस्यता की अवधि आजीवन होगी।

2- विशिष्ट सदस्य- ऐसे व्यक्ति जो संस्था के कोष में पॉच हजार रूपये नकद या सम- मूल्य की उपयोगी सम्पत्ति का योगदान करेगें। वह संस्था के विशिष्ट सदस्य होगें। इनकी सदस्यता की अवधि पॉच वर्ष की होगी।

3- सहयोगी सदस्य- ऐसे व्यक्ति जो संस्था के कोष में प्रति माह दस रूपये या एक वर्ष में एक सौ रूपये का योगदान करेगें। संस्था के सहयोगी सदस्य होगें। इनकी सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी।

(ग) सदस्यों की नियुक्ति- प्रबंध समिति के बहुमत निर्णय से संस्थापक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य वर्गो को सदस्यता प्रदान की जा सकेगी।

(घ) सदस्यता की समाप्ति- मृत्यु त्यागपत्र अथवा संस्था विरोधी आचरण करने पर प्रबंध समिति किसी भी सदस्य कि सदस्यता समाप्त कर देगी।

5- संस्था के निकाय- संस्था के दो निकाय होगें:-

1- साधारण सभा

2- प्रबंधकारिणी समिति

6- साधारण सभा-

(क) गठन- संस्था के सभी सदस्यों को सम्मिलित कर साधारण सभा का गठन होगा तथा प्रबंध समिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा के पदाधिकारी होगें।

(ख) बैठकें-

1- सामान्य बैठक- वर्ष में एक बार यथासम्भव मई में साधारण सभा की सामान्य बैठक होगी।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

2- विशेष वार्षिक बैठक- वर्ष के अंत में साधारण सभा की विशेष वार्षिक बैठक होगी।

(ग) सूचना अवधि- साधारण सभा की प्रत्येक बैठक के लिए बीस दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(घ) गणपूर्ति- साधारण सभा की प्रत्येक बैठक में 2/3 (दो तिहाई) सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी।

(ड.) वार्षिक अधिवेशन- साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष जनवरी माह में होगा।

(च) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तब्य:-

1- प्रबंध समिति द्वारा प्रस्तावित योजना तथा बजट का अनुमोदन करना।
2- संस्था के लेखा का अनुमोदन करना तथा लेखा परीक्षा के लिए आडिटर की नियुक्ति करना।
3- नियमानुसार प्रबंध समिति का चुनाव करना।

7- प्रबंध समिति-

(क) गठन तथा कार्यकाल- साधारण सभा द्वारा चुने गये संस्थापक सदस्यों में से पॉच तथा अन्य सभी वर्गो के सदस्यों में से दो को मिलाकर सात सदस्यों से प्रबेध समिति का गठन होगा।उक्त सदस्य अपनी बैठक कर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव तथा कोषाध्यक्ष का चुनाव करेगें। अन्य वर्गो के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के अभाव में संस्थापक सदस्यों में से प्रबंध समिति का गठन होगा। प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और अगले चुनाव तक पहली प्रबंध कार्य करती रहेगी।

(ख) बैठकें- प्रबंध समिति की सामान्य बैठक 4 महीने में एक बार होगी। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देश पर अथवा दो तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर आपात बैठक बुलायी जायेगी।

(ग) गणपूर्ति- सामान्य बैठक में 1/3 अथवा आपात बैठक में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी।

(घ) सूचना अवधि- सामान्य बैठक के लिए सात दिन पूव्र सूचना देना आवश्यक होगा तथा आपात बैठक हेतु तीन दिन पूर्व सूचना देना होगा।

(ड.) रिक्त स्थानों की पूर्ति- किसी भी दशा में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए शेषकाल के लिए प्रबंध समिति किसी भी सदस्य को मनोनीत करेगी।

(च) प्रबंध समिति के अधिकार तथा कर्तब्य-
1- संस्था का प्रबंध करना तथा योजना तैयार करना।
2- आय व्यय का लेखा तैयार करना तथा उसका लेखा परीक्षा (आडिट) कराना। संस्था द्वारा प्रायोजित प्रकल्पों के लिए अलग-अलग उपसमितियॉ का गठन करना तथा उनके लिए नियम बनाना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर
संतोष कुमार दुबे

(3)

प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

(क) अध्यक्ष- संस्था के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा अभिलेखों को हस्ताक्षरित करना। किसी मतदान में समान मत विभाजन की स्थिति में अध्यक्ष को एक निर्णायक मताधिकार प्राप्त होगा। सचिव या कोषाध्यक्ष के साथ बैंक खातों का संचालन करना तथा कोष का नियंत्रण करना। प्रबंध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना। व्यय पत्रकों को भुगतान के लिए स्वीकृत करना, न्यायालय, सरकार तथा अन्यत्र कहीं भी संस्था का प्रतिनिधित्व करना या संस्था के प्रतिनिधित्व के लिए सचिव को अधिकृत करना।

(ख) उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उसका सहयोग करना।

(ग) सचिव- संस्था के अभिलेखों का रख-रखाव करना। अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैठकें बुलाना। संस्था का प्रबंध करना। नियमानुसार बैंक खातों का संचालन करना। प्रबंध समिति द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारी का उपयोग करना आय-व्यय का लेखा तैयार करना।

(घ) उपसचिव- सचिव के कार्यों में सहयोग करना।

(ड.)कोषाध्यक्ष- आय-व्यय का लेखा रखना। प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित सीमा में नकद धन अपने पास रखना तथा नियमानुसार बैंक खाते का संचालन करना।

9- नियमों में परिवर्तन — साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधित किया जायेगा।

10- संस्था द्वारा प्रायोजित प्रकल्पों के यथोचित संचालन हेतु यदि प्रबंध समिति आवश्यक समझे तो उपसमितियों का गठन और इस प्रकार से गठित उपसमिति के लिए नियम निर्देश करेगी।

11- न्यायालय, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या अन्यत्र कहीं भी संस्था का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष की नियुक्ति से सचिव करेगा।

12- प्रबंध समिति संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के लिए नियमित अथवा सावधि मानदेय अथवा भत्ता की व्यवस्था कर सकती है।

13- संस्था द्वारा किसी संस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग से लिये गये ऋण के भुगतान का दायित्व प्रबंध समिति के समस्त सदस्यों (उनके कार्यावधि में लिए गये ऋण) की व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से ऋण की पूर्ण अदायगी तक होगा। चाहे वे संस्था के सदस्य रहें अथवा न रहें।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

(4)

दान-अनुदान, ऋण, चन्दा, सदस्यता शुल्क तथा अन्य अर्जित सम्पत्तियों से संस्था के कोष का निर्माण होगा। धनराशि का रख-रखाव प्रबंध समिति द्वारा निर्दिष्ट रूप से किसी भी डाक घर अथवा बैंक में होगा। बैंक अथवा डाक घर के खाते अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष द्वारा सयुंक्त रूप से खोला जायेगा और खातों का सेंचालन अध्यक्ष के साथ किसी एक (सचिव या कोषाध्यक्ष) के द्वारा सयुंक्त रूप से होगा।

15- उन विषयों पर जहॉं नियमावली मौन है प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत नियम प्रभावी होगें।

16- संस्था बिना किसी धर्म, जाति, लिगं, भेद-भाव के कार्य करेगी।

17- संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट) साधारण सभा द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिवर्ष कराया जायेगा।

18- सदस्यता पंजिका, आय-व्यय पंजिका, भण्डार पंजिका तथा कार्यवाही पंजिका संस्था के मुख्य अभिलेख होगें।

19- प्रबंध समिति किसी भी समाजसेवी तथा गणमान्य व्यक्ति को सम्मानार्थ संस्था का संरक्षक बना सकती है।

20- संस्था का विघटन सम्पत्ति का निस्तारण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 तथा 14 के अनुसार होगा।

सत्य – प्रतिलिपि

20-10-11

सहायक निबंधक

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

उ० प्र० गोरखपुर

20/10/11

प्रतिलिपि कर्ता ....

मिलान कर्ता 20/10/11